

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़


Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,
कमांक/07/पीएमटी-पीईटी/2024-25/2149 नवा रायपुर दिनांक 10/06/2024

वर्ष 2024-25 में प्री0इंजीनियरिंग एवं प्री0मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु
छ.ग. के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के
विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु सूचना

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण, 100 अभ्यर्थी (64 अनुसूचित जनजाति, 36 अनुसूचित जाति), जो ड्राप लेकर इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र का आमंत्रण किया जाता है।

- (1) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 01.07.2024 सायं 4.00 बजे तक
- (2) आवेदन जमा करने का स्थान :- जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा कर सकते हैं।
(कार्यालय - कलेक्टर परिसर)


आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन एवं डाउनलोड किया जा सकता है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी यथा - पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाईट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते हैं।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0

प्री0इंजीनियरिंग एवं प्री0मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने हेतु सामान्य अनुदेश
वर्ष 2024-25

- (1) कोचिंग की अवधि – यह कोचिंग 01 वर्ष के लिए या प्रतियोगी परीक्षा के होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।
- (2) कोचिंग का स्थान – छ0ग0 राज्य के जिस जिले की कोचिंग संस्था का चयन होगा, उसी जिले में कोचिंग कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- (3) निर्धारित सीटें – योजनांतर्गत 100 सीटें निर्धारित हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति हेतु-64 तथा अनुसूचित जाति हेतु-36।
- (4) निवास तथा जाति संबंधी पात्रता –
 1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
 2. आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग से हो तथा स्थाई जाति प्रमाण पत्र धारक हो।
 3. आवेदक को योजना का लाभ केवल एक बार दिया जायेगा।
 4. आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा। यदि इस संबंध में आवेदक द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत किये जाने की दशा में उसे इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
- (5) शैक्षणिक योग्यता – गणित अथवा जीव विज्ञान विषय के साथ कक्षा 12वीं में कम से कम 70% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा में प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर किया जायेगा।
- (6) आय – आवेदक के अभिभावक/पालक का समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इस संबंध में लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र 10 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (7) कोचिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति – योजनांतर्गत विद्यार्थी को कोचिंग, आवास, भोजन, चिकित्सा, पुस्तक, प्रवेश शुल्क आदि निःशुल्क प्रदान किया जावेगा।
- (8) प्राक्चयन परीक्षा का स्वरूप – प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय (Objective type) प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न-पत्र अधिकतम 02 घंटे का होगा, जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जा सकेंगे।
- (9) आवेदन जमा करना – अभ्यर्थी किसी भी जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- (10) प्री0 मेडिकल एवं प्री0 इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा।
- (11) आवेदन पत्रों का भरा जाना – आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह आवेदन पत्र में चाही गई समस्त जानकारी सही-सही दें एवं स्वयं के द्वारा संबंधित अभिलेख सत्यापित कर आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जायेगा।
- (12) विस्तृत विवरण – योजना के संबंध में नियम निर्देश विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे अवलोकन किया जा सकता है।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छ0ग0